

न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-585 / 2009
 संस्थित दिनांक-11.11.2009
 फाइलिंग क्र.234503000152009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

बाबूलाल पिता मोहनलाल वीरनवार, उम्र-45 वर्ष,
 निवासी-वार्ड नंबर-4, देवटोला बालाघाट,
 थाना कोतवाली, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-20/06/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं मो. व्ही.एक्ट की धारा-134/187 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-14.10.2009 को सुबह 9:35 बजे, आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत पोलाफाटा के पास वाहन ट्रक क्रमांक-एम.पी-50/एच-0256 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहत अब्दुल रफीक को साधारण उपहति तथा आहत कुंजबिहारी व तुषार को घोर उपहति कारित की एवं दुर्घटनाग्रस्त आहत अब्दुल रफीक को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बैहर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रवि मिश्रा को रोजनामचा सान्हा क्रमांक-565 पर शासकीय चिकित्सालय बैहर से तहरीर प्राप्त हुई कि थाना रूपझर अंतर्गत थाना क्षेत्र बैहर बालाघाट रोड़ पर 51/2 पुलिया के पास आरोपी बाबूलाल बिरनवार ने वाहन ट्रक क्रमांक-एम.पी-50/बी.सी-0256 को लापरवाही व तेज गति से चलाकर, मारुति वाहन क्रमांक-एम.पी-50/बी.सी-0319 को टक्कर मार दी, जिससे आहत अब्दुल रफीक को चोट आई थी। घटना में आहत कुंजबिहारी एवं तुषार को भी घोर उपहति कारित हुई थी। आरोपी ने दुर्घटना के पश्चात् आहतगण को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-96/2009, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, विवेचना की शेष कार्यवाही की गई।

विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध धारा-338 का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं धारा-134/187 मो.व्ही. एक्ट के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-14.10.2009 को सुबह 9:35 बजे, आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत पोलाफाटा के पास वाहन ट्रक क्रमांक-एम.पी-50/एच-0256 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत अब्दुल रफीक को साधारण उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत कुंजबिहारी व तुषार को घोर उपहति कारित की ?
4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी अब्दुल रफीक (अ.सा.1) ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दिनांक को आरोपी ट्रक चला रहा था। घटना 14 नवंबर की है। वह मारुति वैन से बालाघाट जा रहा था। उकवा एवं परसाटोला के बीच आरोपी ने अपने वाहन को सड़क से नहीं उतारा था। उसने अपना वाहन सड़क से नीचे उतार लिया था, फिर भी ट्रक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। घटना के विषय में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। आरोपी दुर्घटना के समय वाहन तेज गति से चला रहा था और आरोपी ने अपना वाहन सड़क से नीचे नहीं उतारा। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर-एम.पी-50/एच-0256 था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना सड़क पर मोड़ वाले स्थान की है। साक्षी ने स्वीकार किया कि मोड़ पर अचानक आरोपी का वाहन सामाने आ गया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि माल से भरा हुआ वाहन अचानक सड़क से नहीं उतार सकते। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने घटना के संबंध में पुलिस को कोई बयान नहीं दिया।

6— अभियोजन साक्षी कुंजबिहारी (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी बाबूलाल को जानता है। आहत तुषार उसका पुत्र है। घटना वर्ष 2010 की है, वह बालाघाट जा रहा था, तभी परसाटोला के पास सामने से तेज गति से आ रहे वाहन ने उनके वाहन को टक्कर मार दी थी। वाहन को आरोपी बाबूलाल चला रहा था। जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी, उसका उसे नंबर नहीं मालूम। घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि उसने पुलिस को वाहन का नंबर बताया था। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-2, पुलिस को नहीं बताया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने आरोपी को वाहन चलाते हुए नहीं देखा था और वह नहीं बता सकता कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन कौन चला रहा था। इस प्रकार आरोपी की पहचान के विषय में साक्षी ने मुख्यपरीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षी तुषार (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि ट्रक वाला वाहन को धीरे चला रहा था। दुर्घटना किसकी गलती से हुई, यह बात वह नहीं बता सकता।

7— अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह आहतगण को जानता है। दुर्घटना के समय वह घर पर था, तभी उसे दूरभाष में सूचना प्राप्त हुई कि दुर्घटना हुई है। ट्रक कौन चला रहा था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। वह आरोपी बाबूलाल को नहीं जानता। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि वह नहीं बता सकता कि ट्रक क्रमांक-एम.पी-50/एच-0256 के चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाकर मारुति वैन को टक्कर मारी थी। साक्षी ने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

8— अभियोजन साक्षी ग्यारसीलाल (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 व घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-7 उसके समक्ष तैयार किये गये थे, जिसमें उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने थाने में जाकर हस्ताक्षर किये थे।

9— निपेन्द्र चौकसे (अ.सा.6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना वर्ष 2009 की है। पुलिस चौकी उकवा के अपराध में जप्तशुदा ट्रक क्रमांक-एम.पी-50/एच-0256 का मैकेनिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया था। वाहन चालू हालत में था। ट्रक के ड्राइवर साईड का हेड लाईट फूटा हुआ था और सामने से बम्फर पिचका हुआ था। उसके द्वारा दी गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने वाहन परीक्षण करने के संबंध में कोई परीक्षण प्राप्त नहीं किया है।

10— फूलचंद (अ.सा.8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-14.10.2009 को पुलिस चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। अपराध क्रमांक-96/09, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-134/187 मो.व्ही.एक्ट की डायरी विवचेना हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल पहुंचकर फरियादी सुरेन्द्र टोरिया के बताए अनुसार साक्षियों के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरीनक्शा प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवचेना के दौरान फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-14.10.2009 को आरोपी बाबूलाल के कब्जे से घटनास्थल से मारुति ओमनी क्षतिग्रस्त हालत में जप्त किया था, जो प्रदर्श पी-5 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-21.10.2009 को सुरेन्द्र टोरिया से गवाहों के समक्ष वाहन मारुति वैन क्रमांक-एम.पी-50/बी.सी-0319 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-15.10.2009 को बाबूलाल लोधी के पेश करने पर वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एच-0256 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्तीपत्रक गवाहों के समक्ष तैयार कर प्रदर्श पी-12 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने गवाहों के कथन अपने मन से लेख किये थे और विवेचना की कार्यवाही भी अपने मन से की थी।

11— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन साक्षी अब्दुल रफीक ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि सामने से आ रहा ट्रक वाहन जिसे आरोपी चला रहा था, उसने अपने वाहन को सड़क से नहीं उतारा इसलिए दुर्घटना हुई। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना जिस स्थान पर हुई थी, उस स्थान में मोड़ था और अचानक ट्रक वाला सामने आ गया था। बचाव पक्ष ने यह सुझाव दिया है कि माल से भरा ट्रक अचानक सड़क से उतारा नहीं जा सकता, जिसे साक्षी ने अस्वीकार किया है। वस्तुतः माल से भरा हुआ ट्रक अचानक सड़क से उतारने पर स्वयं उस वाहन के पलटने अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रक चालक द्वारा उपेक्षापूर्वक ट्रक को सड़क से नहीं उतारा गया, यह बात प्रस्तुत साक्ष्य से सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि दुर्घटना वाले स्थान पर मोड़ था और ट्रक सामने से आ गया था। जो ट्रक सामने से आया था, वह माल से भरा हुआ था, इसलिए उसे सड़क से नहीं उतारा गया था। साक्षी कुंजबिहारी (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने आरोपी को वाहन चलाते हुए नहीं देखा। साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के क्रमांक की जानकारी होने से इंकार किया।

12— अभियोजन साक्षी तुषार (अ.सा.3) ने कहा है कि दुर्घटना के समय ट्रक वाला वाहन को धीरे चला रहा था। अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र (अ.सा.4) ने कहा है कि दुर्घटना के समय वह अपने घर पर था, इसलिए उसे दुर्घटना कैसे हुई थी, इसकी जानकारी होना संभव नहीं है। उपरोक्त साक्षियों के न्यायालयीन परीक्षण से आरोपी बाबूलाल द्वारा दुर्घटना दिनांक को वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाये जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। उपरोक्त समस्त आधारों पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध किये जाने के तथ्य प्रमाणित न होने से आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 व 3 का निष्कर्ष :-

13— अभियोजन साक्षी अब्दुल रफीक (अ.सा.1) ने यह कहा है कि दुर्घटना में उसका पैर टूट गया था और आहत कुंजबिहारी का हाथ टूट गया था, जबकि आहत तुषार को मस्तिष्क में चोट आई थी। उसका ईलाज अस्पताल में हुआ था। कुंजबिहारी (अ.सा.2) ने कहा है कि उसके बाएं हाथ में अस्थिभंग हुआ था। उसके पुत्र तुषार को सिर पर तथा आहत अब्दुल रफीक को पैर में चोट आई थी। तुषार (अ.सा.3) ने कहा है कि उसे दुर्घटना में सिर व हाथ में चोट आई थी।

14— अभियोजन की ओर से परिक्षित चिकित्सीय साक्षी डॉ. एन.एस. कुमारे (अ.सा. 7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-14.10.09 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के उपनिरीक्षक मिश्रा के लाए जाने पर आहत अब्दुल रफीक का उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें उसने आहत के शरीर पर तीन चोटें पाई थी। चोट क्रमांक-1 सिर के अग्र भाग पर दाहिने तरफ पाया था। चोट क्रमांक-2 जांघ के दाहिने तरफ पाया था तथा चोट क्रमांक-3 दाहिने पैर के उपरी भाग पर पाया था। साक्षी ने अपने अभिमत में कथन किये हैं कि उसने आहत को चोट क्रमांक-1 व 2 के लिए एकसरे कराने की सलाह दी थी। चोट क्रमांक-3 साधारण प्रकृति की थी। चोट क्रमांक-1 व 2 किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी तथा चोट क्रमांक-3 किसी खुरदुरी वस्तु से आ सकती थी, जो उसकी जांच के 6 घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15— आरोपी के विरुद्ध आहत अब्दुल रफीक को साधारण उपहति कारित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337 तथा आहतगण कुंजबिहारी व तुषार को घोर उपहति कारित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 का अपराध किये जाने का अभियोग है। आहत साक्षी अब्दुल रफीक व तुषार ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि

दुर्घटना में उन्हें चोट आई थी। चिकित्सीय साक्षी डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 को प्रमाणित कर यह कहा है कि दुर्घटना में आहत अब्दुल रफीक को साधारण उपहति तथा आहत कुंजबिहारी व तुषार को घोर उपहति कारित हुई थी। इस प्रकार दुर्घटना में आहतगण को चोट आना प्रमाणित है, परंतु विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 में यह पाया गया कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन नहीं चलाया गया था, जिससे दुर्घटना हुई, इसलिए दुर्घटना में आहतगणों को आई चोट के लिए आरोपी को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। अतएव आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337, 338 के अंतर्गत अपराध किये जाने के तथ्य प्रमाणित न होने से आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337, 338 के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-4 का निष्कर्ष :-

16- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 के निष्कर्ष में यह नहीं पाया गया है कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी अपना वाहन उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से नहीं चला रहा था, परंतु विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 व 3 की विवेचना में दुर्घटना होना एवं दुर्घटना में आहत अब्दुल रफीक को साधारण उपहति व आहत कुंजबिहारी व तुषार को घोर उपहति आना पाया गया है। आरोपी का यह बचाव नहीं है कि दुर्घटना नहीं हुई थी और न ही वह अपने वाहन को नहीं चला रहा था या कोई और व्यक्ति वाहन को चला रहा था। विवेचक ने वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एच-0256 की जप्ती की कार्यवाही को प्रमाणित किया है। इस संबंध में साक्षी निपेन्द्र चौकसे (अ.सा.6) ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एच-0256 का मैकेनिकल परीक्षण किया है। उपरोक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहें हैं, इसलिए दुर्घटना वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एच-0256 तथा आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को दुर्घटना के समय चलाया जाना प्रमाणित हो रहा है। अब्दुल रफीक (अ.सा.1) एवं कुंजबिहारी (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्पष्ट कथन किया है कि दुर्घटना के समय आरोपी स्वयं ट्रक वाहन को चला रहा था। दुर्घटना के पश्चात आरोपी बाबूलाल को आहतगण अब्दुल रफीक, कुंजबिहारी व तुषार को चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराना था तथा निकटतम थाने के भारसाधक अधिकारी को घटना की सूचना देना था, जो कि उसके द्वारा नहीं दी गई। आहतगण को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना एवं निकट थाने को दुर्घटना की सूचना देना, वाहन चालक आरोपी के लिए अनिवार्य है, यह बात मोटरयान अधिनियम की धारा-134 के तहत आज्ञापक है। इस आज्ञापक प्रावधान का पालन आरोपी द्वारा नहीं किया गया, इसलिए आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 में दोषसिद्ध पाया जाता है। मोटरयान अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाए जाने से धारा-134/187 के अपराध के लिए 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाये जाने की दशा में आरोपी को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

17— प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

19— आरोपी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक क्रमांक-एम.पी-50/एच-0256 सुपुर्ददार आनंद कोछड़ पिता राजेद्र कोछड़, जाति पंजाबी, निवासी-बालाघाट, तहसील, थाना व जिला बालाघाट को एवं वाहन मारुति वेन क्रमांक-एम.पी-50/बी.सी-0319 सुपुर्ददार सुरेन्द्र टोरिया पिता मूलचंद टोरिया, जाति छिपा, निवासी-ग्राम मोहगांव वार्ड नंबर-6, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किये गया है, उक्त सुपुर्दनामे अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्ददारों के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित
किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

बैहर,
दिनांक-20.06.2016

सही /—
(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट